न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3707–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–9–2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी जिला सिंगरौली म0प्र0 प्रकरण क्रमांक 100/अ–74/2015–16.

जगमंती पुत्री स्व0 संगमलाल पत्नी बबुआराम
निवासी ग्राम गोरबी तहसील चितरंगी
जिला सिंगरौली म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

ऋषिपाल सहारन पुत्र अमरसिंह
निवासी रोहतक जिला रोहतक (हरियाणा)
कृषक ग्राम गोरबी तह0 चितरंगी जिला
सिंगरौली म0प्र0

——— अनावेदक

....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक आवेदक
श्री हिमांशु, अभिभाषक, अनावेदक

....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 22/ 9 /2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी के आदेश दिनांक 08–9–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक ऋषिपाल सहारन ने नायब तहसीलदार वृत्त दुध तहसील चितरंगी के समक्ष पूर्व के प्रकरण क्रमांक 45/अ–74/14–15 में पारित आदेश दिनांक 08–8–16 को पुनर्विलोकन हेतु आवेदन संहिता की धारा 51 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार ने प्रकरण के पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी की ओर प्रकरण प्रेषित किया। अनुविभागीय

अधिकारी ने आदेश दिनांक 8–9–2016 के द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई। अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी आवेदक के पिता स्व0 संगमलाल थे। संगमलाल की दो पत्नियां थी प्रथम पत्नी से आवेदक एवं दूसरी पत्नी से रमाशंकर एवं गेंनमती थी। संगलमाग के मृत होने पर सम्पूर्ण भूमियों पर रमाशंकन ने मात्र अपने नाम राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज करा लिया था। आवेदक को जानकारी होने पर अनुविभागीय अधिकार के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें प्रकरण क्रमांक 27/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 30–5–14 हुआ और मृतक संगमलाल के वैध वारिस आवेदक जगमंती, रमाशंकन एवं गेनमती के नाम वारिसाना नामांतरण स्वीकार किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक ऋषिलाल ने अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील पेश की जो आदेश दिनांक 06–7–15 को निरस्त हुई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश पालन में नायब तहसीलदार चितरंगी ने आदेश दिनांक 08–8–16 पारित किया जिसके पश्चात पटवारी/कम्प्यूटर अभिलेख दुरूस्त करने का आदेश दिया। यह भी तर्क दिया कि अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष पुनर्विलोकन आवेदन पेश किया जबकि अनावेदक प्रकरण में पक्षकार नहीं था उसे पुनर्विलोकन पेश करने की अधिकारिता नहीं थी। तर्क में यह भी कहा कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान कर दी गई जबकि संहिता में प्रावधान है कि पुनर्विलोकन की अनुमति दिये जाने के पूर्व हितबद्ध पक्षकार को सुने बिना नहीं दी जा सकती। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि भूमिस्वामी आवेदकगण रजिये बयनामा के द्वारा कई वर्ष पूर्व से क्रय कर ली थी और भूमिस्वामी अभिलेख अंकित है। ऐसी

स्थिति में अनावेदक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार था। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 6–7–15 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी विचाराधीन है जिसमें राजस्व मण्डल द्वारा स्थगन आदेश यथास्थिति बनाये रखने के प्रदान किया गया था, परन्तु फिर भी आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय से अपना नामांतरण करा लिया। इसी कारण नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत किया गया था। यह भी तर्क दिया कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन पर नायब तहसीलदार ने विधिवत अनुमति हेतु वरिष्ठ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण प्रेषित किया जिसपर अनुविभागीय अधिकारी ने पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर नायब तहसीलदार के प्रकरण कमांक 15/अ–74/14–15 में पारित आदेश दिनांक 8–8–16 को पुनर्विलोकन में लेने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। नायब तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को पुनर्विलोकन अनुमति हेतु प्रकरण प्रेषित किया जिसपर अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक को बिना सुनवाई का अवसर दिये एक ही पेशी में पुनर्विलोकन अनुमति देने में अवैधानिकता की है। बिना हितबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये पुनर्विलोकन की अनुमति दिया जाना वैधानिक रूप से उचित नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में 2000 आर एन 76 शहीद अनवर विरूद्ध राजस्व मण्डल तथा एक अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है–

"भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 51 परंतुक (1)– पुनर्विलोकन के लिए मंडल अथवा अन्य किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मंजूरी – दूसरे पक्ष को सूचना और सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रदान नहीं की जा सकती।"

प्राकृतिक न्याय के दृष्टि से भी बिना हितबद्ध व्यक्ति अथवा पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये पारित आदेश को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी ने एक ही पेशी में नायब तहसीलदार के पूर्व आदेश को पुनर्विलोकन में लेने की अनुमति देने में अवैधानिकता की गई है। अतः अनुविभागीय अधिकारी का उक्त आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 08–9–2016 निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत पुनर्विलोकन अनुमति के संबंध में सकारण आदेश पारित करें।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर